न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति सुनिता यादव आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
159/2021 प्रार्थना पत्र	23.07.2021	12.10.2020

उनवान

1– उदा पुत्र बन्ना गुर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– लाली पुत्री बन्ना गुर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– कमली पत्नी देबी गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– कालू पुत्र धन्ना गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– किशन पुत्र देबी गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– गणेश पिता देबी गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– गमानी पुत्री धन्ना गूर्जर पत्नी जगदीश गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द हाल निवासी बहाड़िया की झूपडिया तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
6– गोदू पुत्र देबी गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7– देउ पुत्री देबी गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8– नाराणी पुत्री देबी गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
9– रामू पुत्री धन्ना पत्नी नारायण गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द हाल निवासी पारलिया खेड़ा बडा महुआ के पास तहसील बनेडत्रा जिला भीलवाड़ा
10– रामेश्वर पुत्र धन्ना गूर्जर निवासी सालरिया खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
11– शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा आकोला तहसील कोटड़ी
12– तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री योगेन्द्र सिंह भाटी
अभिभाषक : प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व विपक्षी नं0 01 लगायत 10 की संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजियात आराजी नम्बर 1042 रकबा 0.12 है0, 1043 रकबा 0.13 है0, 1046/1899 रकबा 0.04 है0, 1130 रकबा 0.04 है0, 1131/1788 रकबा 0.12 है0, 1134 रकबा 0.21 है0, 1135 रकबा 0.06 है0, 1136 रकबा 0.06 है0, 1137 रकबा 0.79 है0, 1139 रकबा 0.07 है0, 1147 रकबा 0.03 है0, 1579 रकबा 0.39 है0, 1580 रकबा 0.23 है0, 1584 रकबा 0.25 है0, 1585 रकबा 0.30 है0, 1586 रकबा 0.09 है0, 918 रकबा 0.19 कुल किता 17 रकबा 3.12 है0 ग्राम सालरिया खुर्द पटवार

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

हल्का गिरड़िया तहसील शाहपुरा में स्थित है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण 01 लगायत 10 की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त में पुश्तेनी आराजियात होकर पीढी दर पीढी से चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजियात पुश्तेनी है जो बन्ना व धन्ना दोनों भाइयों की कृषि आराजियात है जो उनके हिस्से 1/2–1/2 अनुसार बन्ना के विधिक वारिसान प्रार्थीगण 01 व 02 उदा व लाली है, जिनका उक्त वर्णित कृषि आराजियात सम्पूर्ण में 1/2 हिस्सा निहित है। शेष 1/2 हिस्सा धन्ना की मृत्यु हो जाने से धन्ना के विधिक वारिसान में निहित है। वर्तमान जमबांदी अनुसार धन्ना की मृत्यु के पश्चात उसकी संताने कालू, देवी, रामेश्वर में से देबी की मृत्यु के पश्चात उसकी संताने विधिक वारिसान भी खातेदार के रूप में दर्ज रेकार्ड हो जाने से जमाबंदी में अत्यधिक खातेदारों के नाम अंकन हो जाने से रेकार्ड की असुविधा एवं मौके पर भी अत्यधिक खातेदार उत्पन्न हो जाने से भोतिक रूप से खेतों पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण व उनकी संताने भी खेतों पर जबरन कब्जा करने की नियत से आये दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते है जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान रहते है एवं उन्हे रोज रोज लड़ाई झगड़ा मारपीट एवं थाने के चक्कर लगाने पड़ते है। इस कारण प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण विरूद्ध पुलिस थाना कोटड़ी में रिपोर्ट पेश की गयी। विपक्षी सं0 02 कालू खूंखार प्रकृति का व्यक्ति है वह अपनी संतानों एवं इनके सगे संबंधियों से आये दिन प्रार्थीगण एवं उनकी संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त की आराजियात से जबरन लड़ाई झगड़ा कर मारपीट कर धमकी देकर बेदखल करने पर आमदा है। इस प्रकार प्रार्थीगण दोनों सगे भाई बहिन है व बुजुर्ग है, दोनों भाई बहन विपक्षीगण से ताकत के बल पर लड़ने में असमर्थ है इसलिए न्यायहित में उक्त कृषि आराजियात की अपने हक हिस्से की सुरक्षा हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में चाहते है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गयी तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्तिनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होगा। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि से भी वंचित हो जायेगें। अतः निवेदन है कि विपक्षीगण स्वयं व नोकरों ऐजेण्टों व परिवार के सदस्यों एवं अन्य को पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थीगण को उनकी पेरा सं0 02 में वर्णित आराजी से बेदखल नहीं करे व न करावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 10.08.2021 को विपक्षीगण 01 लगायत 04, 06 लगायत 08, 10 एवं 12 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। दिनांक 17.08.2022 को विपक्षीगण सं0 05 एवं 11 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा अंतरिम पाबंद किये जाने हेतु बहस करनी चाही जिससे उन्हें सुना जाकर विपक्षीगण को अंतरिम रूप से पाबंद किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया। दिनांक 12.10.2022 को विपक्षी सं0 09 की रजिस्टर्ड ए0डी0 प्राप्त होने किन्तु बावजूद सूचना के विपक्षी के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में सभी विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। अतः अंतिम बहस सुनी जावे। जिससे बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गयी बहस में अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के संयुक्त सह खातेदार है एवं आज दिनांक तक उक्त अराजियात का बंटवाड़ा नहीं हुआ है, जिससे प्रत्येक इंच जमीन पर सभी सहखातेदारों का हिस्सा है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण अपने अपने हिस्से मौके पर कब्जे अनुसार काश्त कर रहे है। किन्तु विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण को नाजायज पेरशान कर उन्हें उनकी सहखतेदारी की कृषि भूमि से बेदखल करना चाहते है जिनका उन्हें हक अधिकार नहीं है। जबकि प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजियात

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

के संयुक्त सहखातेदार काश्तकार है। न्यायहित में उक्त कृषि आराजियात की अपने हक हिस्से की सुरक्षा हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण को दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गयी तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्तिनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होगा। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि से भी वंचित हो जायेगें। अतः ताफैसला वाद प्रार्थीगण को पेरा सं0 02 में वर्णित आराजी में उनके हक हिस्से से बेदखल नहीं करे व न करावें, इसके लिए जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जावे।

बहस पर मनन एव प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण एवं राजस्व रेकार्ड जमाबंदी ग्राम सालरिया खुर्द पटवार हल्का गिरड़िया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा संवत् 2074 से 2077 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है। अतः प्रार्थीगण को बेदखल किया जाता है तो अपूर्तिनीय क्षति प्रार्थीगण को होगी। जिससे प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 17.08.2021 को ताफैसला वाद **'संपुष्ट'** किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाडा) राज.